



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल - registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट - <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 739/ अका./ प्रवेश-मार्गदर्शिका/ संशोधन/ 2021

रायगढ़, दिनांक 26.08.2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय
जिला- रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विषय:- प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2021-22 में संशोधन बाबत।

संदर्भ:- आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन का आदेश क्रमांक 1847/214/आ.उ.
शि/सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.08.2021

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य शासन द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका वर्ष 2021-22 की कंडिका क्रमांक 9.4 (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) को विलोपित करते हुए सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

तदनुसार चूंकि महाविद्यालयों में अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है अतः उपरोक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं. 740/ अका./ प्रवेश-मार्गदर्शिका/ संशोधन/ 2021

रायगढ़, दिनांक 26.08.2021

प्रतिलिपि:-

01. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
04. समस्त प्राचार्य जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को उपरोक्त संबंध में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
05. संबंधित अधिकारी को वेब पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
06. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अकादमी)
26/8/21

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1847/214/आउशि/सम./2021
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21.08.2021

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, छ.ग.।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :- प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2021-22 में संशोधन बाबत
संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक
15.08.2021

—000—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि राज्य शासन द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका वर्ष 2021-22 की कंडिका 9.4 (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) को विलोपित करते हुए सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

21.8.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1848/214/आउशि/सम./2021
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21.08.2021

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन प्रथम तल अटल नगर नवा रायपुर को इस अनुरोध के साथ कि इसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/ दुर्ग/जगदलपुर/ अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।

21.8.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)